

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20-3-24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज नकल नकशा ट्रेस व नकल जमाबंदी सम्बतः 2071 से 74 से खाता सं. 83 आराजी सं. 593/125, 598/127 कुल कित्ता - 2 कुल रकबा 0.8100 है. भूमि का प्राथीया खातेदार है। जो अपनी कृषि आराजी को पत्थर गढी कराने की आविष्करी है। उक्त प्राथीया का प्रार्थना पत्र अ.घा. 128/RA का स्वीकार किया जाता है। मौजा ईटावा प.ह. ईटावा की कृषि आराजी सं. 593/125, 598/127 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.8100 है. भूमि की पत्थर गढी प्रार्थना का विपक्षी गण की उपस्थिति में किये जाने हेतु तहसीलदार बेगम को 1500/- रु कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त आराजी को पत्थर गढी कर न्यायालय आदेश की पालना करे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जय